संख्या : 5-दो(2)/XXXVI(1)(2)/2007-1-दो(2)/07

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 06 जुलाई, 2007

विषय- वित्तीय वर्ष 2007-2008 के प्रथम 04 माह हेतु मद संख्या-29-अनुरक्षण में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में 01 अप्रैल, 2007 से 31 जुलाई, 2007 अर्थात कुल 04 माह के लिए मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के उपयोगार्थ मद संख्या-29-अनुरक्षण में रुपये 1,50,000/-(एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य को करने से पूर्व आवासीय एवं अनावासीय भवनों के वार्षिक रख-रखाव के नियमों एवं नार्मस को ध्यान में रखते हुए व्यय करना सुनिश्चित किया जाय, व्यय वार्षिक अनुरक्षण नियम से किसी भी दशा में अधिक्य न हो ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) एकमुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय ।

(4) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरुप से उत्तरदायी होंगे।

(5) जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है और जिन मदों की दरें बाजार भाव से ली गई हों, उनके तीन कान्टेक्ट रेट के कोटेशन प्राप्त कर तुलनात्मक विवरण में दरों को इंगित कर न्यूनतम दरों के आधार पर आगणन में दरों को लिया जाय ।

(6) जिन कार्यों में टेण्डर की आवश्यकता हो, उनमें टेण्डर विषयक नियमों का अनुपालन किया जाय ।

(7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में आवंटित न की जाय ।

(9) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय । निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-688/XXVII(5)/2007, दिनांक 28.6.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 5-दो(2)/XXXVI(1)(2)/2007-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
4. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।